कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक 617 /सी0आर0ए0–कले0गा0बाद/आपदा/2017 दिनॉकः 06 दिसम्बर, 2017

01– भारती खादी ग्रामोद्योग संस्थान, कार्यालय पी–52, पुष्पायन, नेहरू एन्क्लेव, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
02– प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0, घण्टाघर मेरठ।
03– मंत्री, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, हापुड़।
04– उ0प्र0 हस्तशिल्प, विकास एवं विपणन निगम लि0 लखनऊ।
05– प्रबन्धक, उ0प्र0 खादी स्मारक निधि खादी ग्रामोद्योग भवन, जी0 14–16 सै0–20, नोएडा।
06– प्रबन्धक, यू0पी0 स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लि0, सै0–21 नोएडा।
07– प्रबन्धक, यूपीका हैण्डलूम हाऊस, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड (कैण्टीन) राजनगर, गाजियाबाद।

विषयः <u>वर्ष 2017–18 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल कय करने के सम्बन्ध में।</u>

उपर्युक्त विषयक से सम्बन्धित प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ के पत्र संख्या 1651/1–10–2017–12(34)/03टी0सी0–1 दिनांक 16–11–2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2017–18 शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु जनपद को कम्बल कय करने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रति तहसील 5,00,000/– रूपये इस प्रकार तीनों तहसीलों हेतु कुल 15,00,000/– रूपये (पन्द्रह लाख रूपये) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें निम्न कार्य हेतु निविदा दिनांक 13–12–2017 के अपरान्ह 03:30 बजे तक आमंत्रित की जायेगी, जोकि दिनांक 13–12–2017 को 04:00 बजे अपरान्ह कय समिति के समक्ष कलेक्ट्रेट स्थित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजियाबाद के कक्ष में खोली जायेगी।

कार्य का नाम	कम्बल का साईज/वजन/मूल्य	धरोहर धनराशि
कम्बलों की आपूर्ति हेतु (लागत 15 लाख रूपये)	साईज 235X140 से0मी0 कम से कम वजन 2.200 कि0ग्रा0 कम से कम अधिकतम मूल्य 500/– रूपये (कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होनी चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए)	रू0 30,000/– का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी गाजियाबाद के पक्ष में गाजियाबाद में देय होगा।

निविदा फार्म व शर्तें हमारी वेबसाईट http://ghaziabad.nic.in/ से डाऊनलोड की जा सकती हैं, जिसके साथ निविदा फार्म का मूल्य 100/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। कार्यालय से भी रू0 100/– नकद जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप नियत अवधि में इस कार्यालय से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

06/12/17
(राजेश कुमार)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
O/C गाजियाबाद।

<u>प्रतिलिपिः–</u>

01– जिलाधिकारी महोदया गाजियाबाद को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
02– नाजिर सदर कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
03– जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

06/12/17
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
O/C गाजियाबाद।

desktop-Acra

निविदा प्रपत्र का मूल्य–100 रु0

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।
(सी0आर0ए0 अनुभाग)

कम्बल आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता फर्म/व्यक्ति का नाम व कार्यालय का पता————————————————
2. निविदादाता फर्म/व्यक्ति की वाणिज्य कर पंजीकरण संख्या————————————
3. निविदादाता फर्म/व्यक्ति का पैन नं0 ————————————————————
4. धरोहर राशि का विवरणः– धनराशि अंकों में ——————————————————
5. बैंक ड्राफ्ट सं0 ——————दिनांक——————बैंक का नाम——————————
6. आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल से सम्बन्धित विवरणः–
   (क) कम्बल की लम्बाई (कम से कम 235 से0मी0)————————————————
   (ख) कम्बल की चौडाई (कम से कम 140 से0मी0)————————————————
   (ग) कम्बल का वजन(कम से कम 2 किलो 200 ग्राम)——————————————
   (घ) कम्बल में ऊन का प्रतिशत (कम से कम 70 प्रतिशत)——————————————
   (ङ) एक कम्बल का प्रस्तावित मूल्य (500 रु0 से अधिक न हो)——————————

निविदादाता की घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गयी समस्त सूचनाऐं सत्य है, कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है तथा मेरे द्वारा निविदा हेतु निर्धारित सभी शर्ते मान्य है।

स्थान–
दिनांक–

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता हेतु शर्तें

कम्बलों को कय करने हेतु शासनादेश के कम सं0 03 में निर्देश दिये गये हैं कि सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–8/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010, दिनांक–12.08.2016 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपकमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वयतशासी संस्थाओं(जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोधोग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम(पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की कय अनिवार्यता के सम्बन्ध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का कय सुनिश्चित किया जायेगा ।

1. यह निविदा शासनादेश सं0 1651/1–10–2017–12(34)/03टी0सी0–1, दिनांक–16.11.2017 के अन्तर्गत आमंत्रित की जा रही है, जिसमें उल्लिखित शर्तो का पालन करना होगा।
2. आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों का मूल्य 500/–रु0 प्रति कम्बल से अधिक नही होगा। कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौडाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए।
3. इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए, तथा पुराने यार्न का प्रयोग नही होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
4. आपूर्ति करने वाली संस्था/व्यक्ति को सभी कम्बलों पर टैग लगाना होगा, जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौडाई एवं वजन के साथ–साथ यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग–गाजियाबाद के सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिकी के लिए नही है।
5. आपूर्तिकर्ता संस्था को आदेशानुसार कम्बल की आपूर्ति जनपद के तहसील मुख्यालय–गाजियाबाद, मोदीनगर व लोनी पर आदेश प्राप्त करने के 03 दिन के अन्दर करनी होगी, जिस पर होने वाले परिवहन व्यय का वहन उसके द्वारा स्वयं किया जायेगा।
6. निविदा डालते समय ही निविदादाता फर्म/व्यक्ति द्वारा कम्बल के चार–चार नमूने सी0आर0ए0 अनुभाग में जमा कराकर उसकी प्राप्ति की रसीद लेनी होगी। बिना नमूने जमा कराये प्रस्तुत की गयी निविदा स्वीकार नही होगी।
7. निविदादाता संस्था/व्यक्ति को इस आशय का प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वह राज्य/केन्द्र सरकार की किसी ऐजेन्सी/विभाग द्वारा काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नही डाले गये हैं।
8. निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन, आयकर की तीन वर्ष की आर0टी0आर0 की स्वहस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करनी होगी।
9. निविदा आपूर्ति हेतु स्वीकृत फर्म को शर्तो के अनुसार आपूर्ति न करने की दशा में उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. निविदा को स्वीकृत करने एवं किसी भी समय अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी गाजियाबाद में निहित होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर